राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भारती महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय

राजभाषा निरीक्षण रिपोर्ट

भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिनांक : 21 दिसंबर 2024

भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप, प्रत्येक विभाग एवं कार्यालय में हिंदी भाषा के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर राजभाषा निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा प्रभाग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2024 को भारती महाविद्यालय का राजभाषा निरीक्षण संपन्न हुआ। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह था कि महाविद्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन किया जा सके तथा भावी कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए जा सकें।

निरीक्षण की प्रक्रिया

निरीक्षण दल ने सर्वप्रथम महाविद्यालय की प्राचार्या महोदया से भेंट कर हिंदी भाषा के प्रयोग की समग्र स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात विभिन्न विभागों, प्रशासनिक अनुभागों तथा शिक्षण-अध्यक्ष इकाइयों का अवलोकन कर यह देखा गया कि दैनिक कार्यों, पत्राचार, टिप्पणियों तथा आदेशों में हिंदी भाषा का किस स्तर तक प्रयोग किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी संज्ञान लिया गया।

निरीक्षण के मुख्य अवलोकन

निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया–

1. कार्यालयीन कार्य में हिंदी भाषा का उपयोग

यह पाया गया कि महाविद्यालय के अनेक प्रशासनिक अनुभागों में हिंदी भाषा का नियमित प्रयोग हो रहा है। कुछ विभागों में आधिकारिक अभिलेख, पंजी, नोटशीट एवं आदेश-पुस्तिकाएँ हिंदी में तैयार की जा रही हैं, जिससे राजभाषा अधिनियम के अनुपालन का सकारात्मक परिदृश्य उभरता है।

2. हिंदी में पत्र-व्यवहार

बाहरी एवं आंतरिक पत्राचार में हिंदी का प्रयोग संतोषजनक स्तर पर किया जा रहा है। तथापि कुछ विभागों में अंग्रेज़ी भाषा पर अनावश्यक निर्भरता देखी गई। निरीक्षण दल ने इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए सुझाव दिया कि हिंदी पत्र-व्यवहार को और अधिक बढ़ाया जाए।

3. हिंदी टिप्पण एवं आदेश

कार्यालयीन टिप्पणियाँ, आदेश तथा परिपत्र हिंदी भाषा में लिखे जा रहे हैं। निरीक्षण दल ने इसे एक सराहनीय प्रयास बताया, किंतु साथ ही यह भी सुझाव दिया कि टिप्पणियों की भाषा को और अधिक मानक एवं शुद्ध बनाया जाए।

4. कर्मचारियों का हिंदी भाषा ज्ञान एवं प्रयोग

अधिकांश कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में सक्षम पाए गए। कुछ कर्मचारियों ने अपनी हिंदी टंकण (Typing) एवं शब्दावली दक्षता को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता व्यक्त की। इस पर राजभाषा प्रभाग ने सुझाव दिया कि समय-समय पर कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

दिए गए सुझाव एवं दिशा-निर्देश

निरीक्षण के उपरांत शिक्षा मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग द्वारा निम्नलिखित सुझाव एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए गए–

- कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अंग्रेज़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जाए।
- सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 की जानकारी दी जाए।
- कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि हेतु राजभाषा कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण कक्षाओं का नियमित आयोजन किया जाए।
- पत्राचार, टिप्पणियों तथा आदेशों की भाषा को शुद्ध, मानक एवं सुगम बनाने पर विशेष बल दिया जाए।
- महाविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति को और अधिक सक्रिय बनाया जाए, ताकि हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु ठोस कार्ययोजनाएँ समयबद्ध रूप से लागू की जा सकें।

निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि भारती महाविद्यालय राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यालयीन कार्यों, पत्राचार, आदेशों तथा टिप्पणियों में हिंदी का प्रयोग उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। फिर भी, राजभाषा प्रभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ पहल किए जाने की आवश्यकता है। यह विश्वास व्यक्त किया गया कि भविष्य में महाविद्यालय हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट स्तर प्राप्त करेगा तथा राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूर्णतः सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

भारती
Reply